



राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

Last Updated: July 2022

इसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NIA) के नाम से जाना जाता है। इसका गठन **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008** के तहत किया गया था।

- यह नमिनलखित मामलों में **अपराधों की जाँच और अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है:**
 - भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध।
 - परमाणु और परमाणु प्रतष्ठानों के वरिद्ध अपराध।
 - उच्च गुणवत्तायुक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी।
- यह अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों (Conventions) और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करती है।
- इसका उद्देश्य भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना भी है।
- यह केंद्रीय आतंकवाद वरिधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- इसका **मुख्यालय नई दिल्ली में तथा शाखाएँ हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्ची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में हैं।**

NIA के लक्ष्य

- जाँच के नवीनतम वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हुए सूचीबद्ध अपराधों की गहन पेशेवर जाँच को अंजाम
- भारत के संविधान और देश के कानूनों का प्रवर्तन।
- मानवाधिकारों की रक्षा और व्यक्तिकी गरमा को प्राथमिकता के साथ महत्त्व देना।
- नयिमति प्रशिक्षण और सर्वोत्तम अभ्यासों एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराने के माध्यम से पेशेवर कार्यबल का विकास।
- प्रभावी और त्वरति सुनवाई सुनिश्चित करना।
- NIA अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पेशेवर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना।
 - आतंकवादी मामलों की जाँच में सभी राज्यों और अन्य जाँच एजेंसियों की सहायता करना।
 - आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का डेटाबेस बनाना और उपलब्ध डेटाबेस को राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ साझा करना।
- अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन और वरिलेखण करना तथा नयिमति रूप से भारत में मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तनों के लिये प्रस्ताव पेश करना।

सूचीबद्ध अपराध (Scheduled Offences)

इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिसे पर NIA जाँच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। इस सूची में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (Atomic Energy Act, 1962) और गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities Prevention Act, 1967) जैसे अधिनियमों के तहत सूचीबद्ध अपराध शामिल हैं।

क्यों हुआ NIA का गठन

- प्रायः ऐसा देखा गया है कि आतंकवादी घटनाओं के तार जटिल अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों से जुड़े होते हैं तथा उनका संगठित अपराधों, जैसे- हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी, नकली नोटों का प्रसार आदि से भी संबंध हो सकता है।
 - वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद एवं कुछ अन्य आपराधिक कृत्यों की जाँच के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए NIA का गठन किया गया।

NIA का कार्य-क्षेत्र

- NIA को केंद्र सरकार द्वारा **NIA अधिनियम, 2008 की धारा VI** के अनुरूप मामले सौंपे जाते हैं।
 - एजेंसी इन मामलों की जाँच स्वतंत्र रूप से करती है।
 - जाँच के बाद मामलों को NIA के विशेष न्यायालय (NIA Special Court) के समक्ष रखा जाता है।
 - गैर कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) तथा कुछ सूचीबद्ध अपराधों के तहत अभयिकुलों पर मुकदमा चलाने के लिये एजेंसी को केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होती है।
 - UAPA के अंतर्गत यह मंजूरी अधिनियम की धारा 45 (2) के तहत गति 'प्राधिकरण' की रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है।
- इसे राज्यों से कोई विशेष अनुमति प्राप्त कथि बना राज्यों में आतंक-संबंधी घटनाओं की जाँच करने का अधिकार है।

नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी और आतंकी वित्तपोषण

- NIA अधिनियम में संशोधन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी से संबंधित अपराध भी आतंकवादी अधिनियम की परभाषा के दायरे में लाए गए हैं।
- आतंकी वित्तपोषण के विभिन्न पहलुओं पर अंकुश लगाने के लिये NIA के अंदर एक **आतंकी वित्तपोषण तथा नकली भारतीय मुद्रा सेल (Terror Funding and Fake Currency Cell- TFFC)** का गठन किया गया है।
 - यह विभाग आतंकी वित्तपोषण और नकली भारतीय मुद्रा (**Fake Indian Currency Notes- FICN**) के मामलों पर डेटाबेस का रखरखाव करता है।
 - NIA द्वारा जाँच कथि जा रहे सामान्य मामलों के आतंकी वित्तपोषण के पहलुओं की जाँच का उत्तरदायित्व भी TFFC के पास है।
 - TFFC नक्सली समूहों से संबद्ध संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खातों का पता लगाता है।
- नक्सली समूहों के आतंकी वित्तपोषण से जुड़े पहलुओं से संबंधित मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये एक विशेषलेफ्ट वगि **एक्सट्रीमिज़्म (Left Wing Extremism- LWE) सेल** भी गठित किया गया है।
- **गृह मंत्रालय (MHA)** समय-समय पर NIA के कार्यबल, वित्तीय और अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की समीक्षा करता है।

हालिया संशोधन

- हाल ही में वर्ष 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संसद द्वारा **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019** पारित किया गया।
- इस अधिनियम में NIA को निम्नलिखित अतिरिक्त आपराधिक मामलों की भी जाँच करने की अनुमति देने का प्रावधान है:
 - जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध
 - प्रतबंधित हथियारों का नरिमाण या बिक्री
 - साइबर आतंकवाद
 - **वसिफोटक पदार्थ अधिनियम, (Explosive Substances Act) 1908** के तहत अपराध।
- **NIA का क्षेत्राधिकार**
 - NIA के अधिकारियों को पूरे देश में ऐसे अपराधों की जाँच करने के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।
 - NIA को भारत के बाहर घटित ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जाँच करने का अधिकार होगा, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन हैं।
 - केंद्र सरकार NIA को ऐसे मामलों की जाँच के नरिदेश दे सकती है जो भारत में ही अंजाम दथि गए हों।
 - ऐसे मामलों पर नई दलिली स्थिति विशेष न्यायालय का न्यायाधिकार होगा।

विशेष न्यायालय (Special Courts)

- सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई के लिये केंद्र सरकार **NIA अधिनियम 2008 की धारा 11 और 22** के तहत एक या एक से अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है।
- विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सफिरशि पर की जाती है।
 - यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार विशेष न्यायालय में एक या एक से अधिक अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सफिरशि पर कर सकती है।
- **विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of Special Courts)**
 - **आपराधिक प्रकरथि संहति, 1973** के तहत सत्तर न्यायालयों को प्राप्त सभी अधिकार विशेष न्यायालयों को भी प्राप्त हैं।
 - किसी विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में **इसे केंद्र सरकार को संदर्भित कथि जाएगा जिसका नरिणय अंतिम होगा।**
 - सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को अथवा किसी असाधारण मामले में जहाँ शांतपूरण, न्यायपूरण, नषिपक्ष और त्वरति सुनवाई संभव नहीं हो, किसी अन्य राज्य के विशेष न्यायालय को हस्तांतरति कर सकता है।
 - इसी प्रकार उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को **उस राज्य के किसी अन्य विशेष न्यायालय को हस्तांतरति कर सकता है।**

हाल के संशोधनों से जुड़े मुद्दे

- **संवधान की अनुसूची VII** के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस बल का रखरखाव **राज्य सूची का विषय** है।
 - यद्यपि आपराधिक कानून **समवर्ती सूची और राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची** में शामिल विषय हैं।
- केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह मानव तस्करी, वसिफोटक अधिनियम के अंतर्गत शामिल अपराध और शस्त्र अधिनियम के दायरे में किये गए कुछ अपराधों की जाँच का उत्तरदायित्व NIA को सौंप सकती है।
 - यद्यपि उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले **प्रत्येक अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता के लिये खतरा नहीं होते** और राज्यों के पास इनसे निपटने की क्षमता मौजूद है।
- संशोधन विधायक **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66F** को अपराधों का सूचीकरण करते हुए अनुसूची में शामिल करता है।
 - धारा 66F **साइबर आतंकवाद** से संबंधित है।
 - लेकिन भारत में कोई **डेटा सुरक्षा अधिनियम प्रवर्तित नहीं है और साइबर आतंकवाद की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है**।
- NIA अधिनियम में लाया गया संशोधन एजेंसी को व्यक्तियों द्वारा किये गए उन अपराधों की जाँच का भी अधिकार देता है जो भारतीय नागरिकों के विरुद्ध हैं या **‘भारत के हित को प्रभावित करने’** वाले हैं।
 - हालाँकि **‘भारत के हित को प्रभावित करने’** वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया गया है और सरकारों द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
 - इसके अतिरिक्त जिस विधान के तहत NIA को जाँच करने का अधिकार प्राप्त है, स्वयं वहाँ **“भारत के हित को प्रभावित करने”** का अपराध के रूप में उल्लेख नहीं है।

NIA के संस्थापक महानिदेशक राधा वनोद राजू थे और वर्तमान में वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई. सी. मोदी इसके महानिदेशक हैं, जिनका कार्यकाल 1 मई, 2021 तक है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-investigation-agency-1>

